संख्या –सा–3–59/दस–2009–902/2009

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 27 फरवरी, 2009

विषय : दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण ।

महोदय,

पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन, मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश शासनादेश संख्या–सा––3–1443/दस–930/83 दिनांक 15 दिसम्बर, 1983, (शासनादेश संख्या–सा––3–2211/दस–930/83 दिनांक 25 नवम्बर, 1988 द्वारा आंशिक रूप से संशोधित) द्वारा जारी किये गये थे ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन बैण्ड तथ ग्रेड वेतन) लागू किये जाने तथा भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवा में पुनर्योजित सेवकों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रावधानों को लागू किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा दिनांक 01–01–2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं सरकारी सेवा में पुनर्योजित सेवकों के पुनरीक्षित वेतनादि के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण, एवं अवशेष वेतन के भुगतान तथा वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनायी जाय जो शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम) /2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1327/दस–59(एम)/2008 दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 द्वारा राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गयी है।

3– उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त पुनर्योजित सरकारी सेवक, वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार यथा संशोधित पूर्व–संशोधित (प्री–रिवाइज्ड) वेतनमानों में अनुमन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं अर्जित करता रहेगा । तथापि, संशोधित सकल पेंशन (राशिकरण की राशि को सम्मिलित करते हुये) के समतुल्य राशि दिनांक 01–01–2006 से अथवा उसके बाद से, पुनर्योजित पेंशन भोगियों के वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप उसके वेतन से काट (कम कर) दी जायेगी । पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी । वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमति शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में निर्धारित तरीके से समस्त वेतन राशि पर यह मानकर दी जायेगी, जैसा कि यदि पेंशन की कटौती न की गयी होती । इसके अतिरिक्त पुनर्योजन पर वेतन तथा सकल पेंशन (राशिकरण की राशि को सम्मिलित करते हुये) की अधिकतम सीमा 80,000/– रूपये होगी जो राज्य कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में शीर्षस्थ वेतनमान (नियत) है ।

4– राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सरकारी सेवक, जो इन आदेशों के अनुसार दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का पात्र हो, द्वारा विकल्प का चयन लिखित रूप से संलग्न प्रारूप पर देना होगा । यह विकल्प सम्बन्धित कर्मचारी के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिए ।

5– यह आदेश 01–01–2006 से पूर्व सेवानिवृत्त उन व्यक्तियों पर भी यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे जो 01–01–2006 के बाद सेवायोजित किये गये हों / किये जांय ।

6– शासनादेश संख्या–सा–3–1443/दस–930–83 दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 द्वारा निर्धारित पुनर्योजन की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव ।

संख्या : सा–3–59(1)/दस–2009–902/2009, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)– प्रथम एवं द्वितीय तथा (आडिट)– प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3 विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4 अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, इलाहाबाद।
5 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6 इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7 गार्डबुक ।

आज्ञा से,

बी. एन. दीक्षित
सचिव ।

4– राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सरकारी सेवक, जो इन आदेशों के अनुसार दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का पात्र हो, द्वारा विकल्प का चयन लिखित रूप से संलग्न प्रारूप पर देना होगा । यह विकल्प सम्बन्धित कर्मचारी के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिए ।

5– यह आदेश 01–01–2006 से पूर्व सेवानिवृत्त उन व्यक्तियों पर भी यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे जो 01–01–2006 के बाद सेवायोजित किये गये हों / किये जांय ।

6– शासनादेश संख्या–सा–3–1443/दस–930–83 दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 द्वारा निर्धारित पुनर्योजन की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव ।

संख्या : सा–3–59(1)/दस–2009–902/2009, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)– प्रथम एवं द्वितीय तथा (आडिट)– प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3 विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4 अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, इलाहाबाद।
5 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6 इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7 गार्डबुक ।

आज्ञा से,

बी. एन. दीक्षित
सचिव ।

4– राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सरकारी सेवक, जो इन आदेशों के अनुसार दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का पात्र हो, द्वारा विकल्प का चयन लिखित रूप से संलग्न प्रारूप पर देना होगा । यह विकल्प सम्बन्धित कर्मचारी के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिए ।

5– यह आदेश 01–01–2006 से पूर्व सेवानिवृत्त उन व्यक्तियों पर भी यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे जो 01–01–2006 के बाद सेवायोजित किये गये हों / किये जांय ।

6– शासनादेश संख्या–सा–3–1443/दस–930–83 दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 द्वारा निर्धारित पुनर्योजन की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव ।

संख्या : सा–3–59(1)/दस–2009–902/2009, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)– प्रथम एवं द्वितीय तथा (आडिट)– प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3 विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4 अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, इलाहाबाद।
5 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6 इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7 गार्डबुक ।

आज्ञा से,

बी. एन. दीक्षित
सचिव ।

संलग्नक

# विकल्प का प्रारूप

*(1) मैं ..... दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता हूँ ।

*(2) मैं ..... अपने पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ ।

वर्तमान वेतनमान : .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

कार्यालय का नाम .....

दिनाँक :

स्थान :

* यदि लागू न हो काट दिया जाये ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 143 सा० वित्त-6-3-2009-(2257)-5,000 प्रतियाँ (क० / टी० / आ०)।